इससे पहलेःजी. आर. मजीठिया, जे. और ए. एस. नेहरा, जे.

रघु नाथ,- **याचिकाकर्ता।**

बनाम

भाग माल,- **उत्तरदाता।**

1983 की अवमानना अपील सं. 4।

9जुलाई, 1992।

न्यायालय अवमानना अधिनियम-(1971 का 70)-धारा 19-अपीलार्थी ने कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया-अपील न्यायालय द्वारा आदेशित मुकदमा-प्रतिवादी द्वारा तब तक अस्थायी रूप से बेदखल करने के लिए दायर आवेदन जब तक कि ऐसे समय जब अपील दायर की जाती है-अपीलार्थी के लिए वकील ने बयान दिया कि डिक्री को वह 26 जून, 1981 तक निष्पादित नहीं करेगा-अपीलकर्ता ने 22 जून, 1981 को प्रतीकात्मक कब्जा दिया-प्रतिवादी ने नियमित दूसरी अपील दायर की-अदालत ने 24 जून, 1981 को आदेश दिया कि प्रतिवादी के कब्जे को बाधित नहीं किया जाए-22 जून को सौंपा गया कब्जा, वकील द्वारा दिए गए वचन के उल्लंघन के लिए अपीलार्थी के लिए खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की गई-चाहे अपीलकर्ता पर बाध्यकारी वकील का ऐसा बयान हो।

जी. आर. मजीठिया

अभिनिर्धारित किया गया कि इस संशोधन के आलोक में, वादी इन कार्यों को मुख्तारनामा के बल पर कर सकता है।अपील के मुकदमे में कार्यवाही ऊपर उल्लिखित उद्देश्यों के लिए नियम 4 के उप-नियम (3) में उल्लिखित रूप से समाप्त नहीं होती है, लेकिन मुकदमी कार्यवाही की समाप्ति के बाद अपने मुवक्किल की ओर से कोई स्वीकारोक्ति या वचन नहीं दे सकता है।यदि अदालत अंतिम निर्णय सुनाती है, तो यह माना जाएगा कि मुकदमा या अपील अपने मुवक्किल की ओर से कोई भी स्वीकारोक्ति, रियायत या वचन देने के लिए वकील को अयोग्य ठहराती है, सिवाय इसके कि उसे ऐसा करने के लिए विशेष रूप से अधिकृत किया गया हो।

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) (पंजाब में संशोधित,हरियाणा और चंडीगढ़)–आदेश 3 के नियम 4 का उपनियम (3)–एक मुकदमे में एक वकील की रोजगार-कार्यवाही का निर्धारण अपील तब समाप्त हो जाती है जब लिस का अंतिम निर्धारण हो जाता है–एक बार निर्णय सुनाया जाता है–मुकदमा या अपील निर्धारित मानी जाएगी–वकील के पास अब कोई प्रवेश, रियायत देने का अधिकार नहीं है या उपक्रम करना, सिवाय इसके कि जहां ऐसा करने के लिए विशेष रूप से अधिकृत किया गया हो।

माना गया कि मौजूदा मामले में ऐसा कोई प्राधिकरण साबित नहीं हुआ दिया गया है. जैसा कि वकील द्वारा दिया गया आश्वासन बताया गया है उपरोक्त, अनाधिकृत था और अपीलकर्ता पर बाध्यकारी नहीं था अपीलकर्ता को उसके परामर्शदाता के बयान से आबद्ध करने का आदेश प्रथम अपील के समक्ष देर से न्यायालय के फैसले के बाद अपील की गई स्थापित करने के लिए प्रतिवादी के लिए सकारात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है,कि वकील इस तरह का बयान देने के लिए अधिकृत था और वह अदालत में उनके द्वारा दिए गए वचन की सामग्री से अवगत कराया गया अपने ग्राहक को. इस आशय के किसी साक्ष्य के अभाव में, ऐसा होगा यह निष्कर्ष निकालना अभिमानपूर्ण होगा कि वकील ने संप्रेषित किया था उनके द्वारा अदालत में अपने मुवक्किल को दिया गया वचन पत्र।

न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 19 के तहत अपील प्रार्थना है कि अपील स्वीकार कर ली जाए और अपीलकर्ता को बरी कर दिया जाए।

आगे प्रार्थना की गई कि अपीलकर्ता को तब तक जमानत पर रिहा किया जाए
अपील का अंतिम निर्णय|
डी. एस. चहल, अधिवक्ता, अपीलकर्ता की ओर से,
प्रतिवादी के लिए कोई नहीं।

आदेश

जी. आर. मजीठिया, जे.

अपील विद्वान के निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है,एकल न्यायाधीश ने 31 जनवरी, 1983 को अपीलकर्ता को दोषी ठहराया न्यायालय की अवमानना अधिनियम की धारा 12 और उसे सजा सुनाना दो सप्ताह की कैद और 100 रुपये का जुर्माना भरना होगा। 1,000 या जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगाएक सप्ताह के लिए।

तथ्य : -

अपीलकर्ता ने प्री-एम्प्शन द्वारा कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया| प्रतिवादी. मुकदमे का फैसला ट्रायल जज द्वारा सुनाया गया।अपील पर ट्रायल जज के फैसले और डिक्री की पुष्टि की गई प्रथम अपीलीय न्यायालय. चूँकि निर्णय एवं डिक्री की प्रति प्रथम अपीलीय न्यायालय को जवाब उपलब्ध नहीं कराया गया-डेंट, उसने अस्थायी रूप से अपने अधिकार पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन दायर किया-कब्ज़ा उसे इस न्यायालय में स्थानांतरित करने और आदेश प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए उसकी बेदखली पर रोक,इस आवेदन का नोटिस जारी किया गया था |प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाला वकील। वकील ने 15 मई, 1981 को इस आशय का एक बयान दिया मामले में अपीलकर्ता ने डिक्री की गई भूमि पर कब्जा नहीं किया था|उनके पक्ष में, डिक्री 26 जून 1981 से पहले निष्पादित नहीं की जाएगी। अपीलकर्ता को जून को भूमि का प्रतीकात्मक कब्ज़ा दे दिया गया 22, 1981. प्रतिवादी ने नियमित दूसरी अपील में इस न्यायालय का रुख किया दिनांक प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध 1 जून 1981 और 24 जून 1981 को इस अदालत ने कब्ज़ा करने का आदेश दिया,प्रतिवादी को परेशान न किया जाए। चूंकि प्रतीकात्मक कब्ज़ा था, 22 जून 1981 को दिए गए आदेश के अनुसार, प्रतिवादी ने अवमानना प्रस्ताव शुरू किया-अपीलकर्ता/डिक्री धारक के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु आदेश आधार यह है कि पहले उसके वकील ने जो बयान दिया था|अपीलीय अदालत उस पर बाध्यकारी थी और उसने कब्जा कर लिया था,उनके वकील द्वारा दिए गए वचन का घोर उल्लंघन।विद्वान एकल न्यायाधीश ने

माना कि अपीलकर्ता के वकील ने ऐसा नहीं किया|प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष निर्देशों की कमी की दलील देना; वह है कि 15 जून, 1981 को उनके मुवक्किल ने इस आशय का बयान दिया 26 जून 1981 तक भूमि पर कब्ज़ा नहीं करेंगे और वह
बयान उनके मुवक्किल पर बाध्यकारी था। इस न्यायालय ने एक अनुरोध किया था
अधीनस्थ न्यायाधीश, रेवाडी से रिपोर्ट करें कि कब-कब कब्ज़ा-अपीलार्थी द्वारा लिया गया था और क्या अपीलार्थी के पास था|उसके वकील द्वारा दिए गए वचन का ज्ञान। सुबोर्डी-
नैट न्यायाधीश ने अपनी रिपोर्ट इस न्यायालय को सौंपी। वह, जांच करने पर उनके सामने पेश किए गए सबूतों पर भरोसा करते हुए एक निष्कर्ष दिया गया| अपीलकर्ता का कथन कि उसने अपने वकील को मुकदमा चलाने का निर्देश नहीं दिया-अपील के निर्णय के बाद कार्यवाही में कटौती।अपीलकर्ता ने अधीनस्थ न्यायाधीश के समक्ष अपने बयान में विशेष रूप से कहा-स्पष्ट रूप से कहा गया कि उन्होंने अपने वकील को उनका प्रतिनिधित्व करने का निर्देश नहीं दिया था|अपील के निर्णय के बाद. अपीलार्थी का कथन खंडन नहीं किया गया. अधीनस्थ न्यायाधीश ने जांच करने के बाद उनके सामने पेश किए गए साक्ष्य निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे: -

"वर्तमान मामले में, मामले के वकील द्वारा दिया गया वचन-अपील के निर्णय के बाद पोंडेंट नंबर 1 बनाया गया। जब मुक़दमे की कार्यवाही ख़त्म हो गई|प्रतिवादी नंबर 1 ने विशेष रूप से कहा है कि उसने ऐसा नहीं किया|उसके वकील को उसके मामले पर आगे मुकदमा चलाने का निर्देश दें। वहाँ इस बिंदु का कोई खंडन नहीं है और इसलिए इसे मान लिया जाएगा कि प्रतिवादी के वकील के पास कुछ भी नहीं था|मामले की आगे की कार्यवाही के संबंध में निर्देश प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से। इसलिए वकील प्रतिवादी नंबर 1 के पास कोई भी अधिकार नहीं था कि वह-प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से लेते हुए और इसलिए,प्रतिवादी संख्या 1 के वकील द्वारा दिया गया एक वचन प्रतिवादी संख्या 1 पर बाध्यकारी नहीं है।"

विद्वान एकल न्यायाधीश ने साक्ष्य के इस टुकड़े का विज्ञापन नहीं किया और अधीनस्थ न्यायाधीश की रिपोर्ट. अपीलकर्ता के पास नहीं था|पहले उसके वकील द्वारा दिए गए वचन का ज्ञान अपीलीय न्यायालय और इस प्रकार, उसे उल्लंघन के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है वही। इसके अलावा, नियम 4(2), आदेश 3, अनुसूची 1, सिविल प्रक्रिया संहिता के

अनुसार, एक वकील द्वारा एक बार नियुक्त किए जाने के बाद यह आवश्यक है|पार्टी, उसके रोजगार का निर्धारण (i) लिखित रूप के अलावा नहीं किया जा सकता है|ग्राहक या वकील द्वारा हस्ताक्षरित और अनुमति के साथ न्यायालय में दाखिल किया गया न्यायालय की, या (ii) कार्यवाही की समाप्ति द्वारा सुविधाजनक होना। इस उपनियम में एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया है जो ऐसा कहता है| निम्नलिखित को मुकदमे में कार्यवाही माना जाएगा:

1. डिक्री या आदेश की समीक्षा के लिए एक आवेदन सुविधाजनक होना;
2. धारा 144 के तहत या धारा 152 के तहत एक आवेदन यह कोड,
3. मुकदमे में किसी डिक्री या आदेश से अपील; और
4. प्रतियां प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई आवेदन या कार्य दस्तावेज़ों की या प्रस्तुत या दायर किए गए दस्तावेज़ों की वापसी मुकदमा या भुगतान किए गए धन की वापसी प्राप्त करना मुकदमे के संबंध में न्यायालय।

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में उप-संशोधन किया गया।आदेश 3 के नियम 4 का नियम (3), सिविल प्रक्रिया संहिता, और वही निम्नानुसार पढ़ता है:-

"(3) उपनियम (2) के प्रयोजन के लिए -

(i) इस संहिता की खंड 22,24 या 25 के तहत स्थानांतरण के लिए एक आवेदन या कार्यवाही;

(ii) इस संहिता के आदेश IX के नियम 4 या नियम 9 या नियम 13 के तहत एक आवेदन;

(iii) इस संहिता के आदेश XXXVII के नियम 4 के तहत एक आवेदन;

(iv) निर्णय की समीक्षा के लिए एक आवेदन,

(v) मुकदमे से या उससे बाहर उत्पन्न होने वाला संदर्भ;

(vi) डिक्री या आदेश या मुकदमा में रिकॉर्ड के संशोधन के लिए एक आवेदन, या मुकदमा से या उससे उत्पन्न होने वाली अपील, संदर्भ या संशोधन;

(vii) मुकदमे में किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए एक आवेदन;

(viii) इस संहिता की खंड 144 या खंड 151 के तहत क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन;

(ix) इस संहिता की खंड 151 के तहत एक आवेदन;

(x) इस संहिता की खंड 152 के तहत एक आवेदन;

(xi) उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के तहत कोई अपील (अपील सहित) या मुकदमा में किसी डिक्री या आदेश से संशोधन आवेदन या मुकदमा से या उससे उत्पन्न होने वाली अपील;

(xii) ऐसी अपील या संशोधन या मुकदमा से या उससे उत्पन्न होने वाले या उससे उत्पन्न होने वाले या उससे उत्पन्न होने वाले या उससे उत्पन्न होने वाले या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी आवेदन (जिसमें उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के तहत अपील करने की अनुमति के लिए या सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति के लिए आवेदन शामिल है);

(xiii) गद्य के लिए निर्देशन या कार्यवाही के लिए कोई आवेदन-आपराधिक संहिता के अध्याय XXXV के तहत कटौती प्रक्रिया, 1898, मुकदमे या इनमें से किसी से संबंधित कार्यवाही, यहां पहले उल्लेखित या अपील या पारित किसी भी आदेश से उत्पन्न होने वाला और उसके बाहर होने वाला संशोधन प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए ऐसा आवेदन या कार्य दस्तावेज़ों की प्रतियां या दस्तावेज़ों की वापसी समर्थक-मुकदमे में या किसी कार्यवाही में उत्पन्न या दायर किया गया|यहाँ पहले उल्लेख किया गया है;

(xiv) निकासी के लिए या प्राप्त करने के लिए कोई भी आवेदन भुगतान की गई धनराशि का या उसमें से भुगतान की वापसी मुकदमे के संबंध में न्यायालय में जमा किया गया या यहां पहले उल्लिखित कोई भी कार्यवाही (निकासी, धनवापसी या भुगतान या बाहर सहित लागतों के लिए या सुरक्षा के रूप में जमा किए गए धन काकी तैयारी और मुद्रण की लागत को कवर करना सर्वोच्च तक अपील का प्रतिलेख रिकॉर्ड

अदालत);

(xv) इससे संबंधित या आनुषंगिक या उत्पन्न होने वाला कोई भी आवेदनऐसे, अपील या पुनरीक्षण या किसी संदर्भ से या बाहर मुकदमे से उत्पन्न या उससे बाहर (आवेदन

सहित-लेटर्स पेटेंट के तहत अपील करने की अनुमति के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति के लिए अदालत);

(xvi) किसी भी टिप्पणी को हटाने के लिए कोई भी आवेदन, अवलोकन-के रिकॉर्ड पर या निर्णय में किए गए मुकदमा या कोई अपील, पुनरीक्षण, संदर्भ या समीक्षा उत्पन्न होती है-सूट से बाहर या अंदर आना;

(xvii) प्रतिस्थापन के संबंध में प्रमाण पत्र के लिए कोई भी आवेदन-उच्चतम न्यायालय में अपील में उत्तराधिकारियों की अपील सूट से; और

(xviii)आदेश XLV के नियम 15 के तहत कोई भी आवेदन संहिता, मुकदमे में कार्यवाही मानी जाएगी:-

बशर्ते कि, जहां मुकदमे का स्थान या कार्यवाही-एक न्यायालय से स्थानांतरण (अधीनस्थ या अन्यथा)दूसरे को, एक अलग स्टेशन पर स्थित, वकील उप-नियम (21 इंच) में निर्दिष्ट नियुक्ति दाखिल करना पूर्व न्यायालय नहीं करेगा. उपस्थित होने, कार्य करने या करने के लिए बाध्य होंगे बाद वाले न्यायालय में गुहार लगाएं, जब तक कि वह फाइल न कर दे या दाखिल न कर दे,उन्होंने पहले ही उनके द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन दाखिल कर दिया है|उसे अपने मुवक्किल से उपस्थित होने, कार्य करने और करने के निर्देश हैं,उस अदालत में गुहार लगाओ।"

इस संशोधन के आलोक में, प्लीडर इन कार्यों को मुख्तारनामा के बल पर कर सकता है।अपील के मुकदमे में कार्यवाही ऊपर उल्लिखित उद्देश्यों के लिए नियम 4 के उप-नियम (3) में उल्लिखित रूप से समाप्त नहीं होती है, लेकिन मुकदमी कार्यवाही की समाप्ति के बाद अपने मुवक्किल की ओर से कोई स्वीकारोक्ति या वचन नहीं दे सकता है।कार्यवाही समाप्त हो जाएगी जब संयुक्त राज्य अमेरिका अंततः निर्धारित किया जाएगा।न्यायालय *द्वारा* अंतिम निर्णय सुनाए जाने के बाद, यह माना जाएगा कि मुकदमा या अपील अपने मुवक्किल की ओर से कोई भी प्रवेश, रियायत या वचन देने के लिए वकील को अयोग्य ठहराती है, सिवाय इसके कि जहां वह विशेष रूप से किया गया हो। ऐसा करने के लिए अधिकृत।

मौजूदा मामले में, ऐसा कोई प्राधिकरण साबित नहीं हुआ दिया गया। वकील द्वारा दिया गया वचन, जैसा कि ऊपर कहा गया है,अनाधिकृत था और बाध्यकारी नहीं था। अपीलकर्ता. के लिए

अपीलकर्ता को उसके वकील के पहले दिए गए बयान से बांधें,अपील के निर्णय के बाद यह प्रथम अपीलीय न्यायालय था,स्थापित करने के लिए प्रतिवादी के लिए सकारात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है कि वकील इस तरह का बयान देने के लिए अधिकृत था और वह अदालत में उनके द्वारा दिए गए वचन की सामग्री से अवगत कराया उसका ग्राहक| इस आशय के किसी भी साक्ष्य के अभाव में, यह होगा|यह निष्कर्ष निकालना अभिमान होगा कि वकील ने सूचित किया था,उनके द्वारा अपने मुवक्किल को न्यायालय में दिया गया वचन पत्र।

यह न्यायालय को दिए गए वचन का उल्लंघन है,इसे न्यायालय के आदेश की अवज्ञा माना जाएगा, जहां तक प्रश्न है-अवमानना का संबंध है. ताकि अवमानना की श्रेणी में लाया जा सके न्यायालय और इस तरह से दंडनीय होगा, केवल एक के तहत का उल्लंघन-न्यायालय को दिया गया आदेश लेना, या उसके द्वारा पारित आदेश की अवज्ञा करना,काफी नहीं है। यह आगे साबित किया जाना चाहिए कि उल्लंघन या उल्लंघन-आज्ञाकारिता जानबूझकर या अपमानजनक थी और अवमाननाकर्ता का कार्य,इसलिए, यह न्यायालय के प्रति अनादर दर्शाता है। कार्यवाही जैसा कि प्रिवी ने बताया है, अवमानना प्रकृति में अर्ध-आपराधिक है त्रिनिदाद और टोबैगो के लिए अंबर्ड बनाम अटॉर्नी जनरल में परिषद (1), सुखदेव सिंह बनाम [1]मुख्य न्यायाधीश और मामले में शीर्ष न्यायालय द्वारा संदर्भित पेप्सू के न्यायाधीश (2), [2]और इसलिए, न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए-उचित संदेह से परे अपीलकर्ता के अपराध के बारे में दावा किया गया। मामले के सिद्ध तथ्यों पर इसे कायम रखना संभव नहीं है,अपीलकर्ता का आचरण अपमानजनक था। उसे कोई जानकारी नहीं थी-प्रथम के समक्ष उनके वकील द्वारा दिए गए वचन का आधार अपीलीय न्यायालय और न ही ऐसा कोई उपक्रम दिया जा सकता है और वह का उल्लंघन करने पर अवमानना के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता,उनके वकील द्वारा न्यायालय में दिया गया वचन।

ऊपर बताए गए कारणों से, अपील सफल होती है, का आदेश विद्वान एकल न्यायाधीश ने अवमानना याचिका को खारिज कर दिया है|खारिज कर दिया गया और नियम से मुक्त कर दिया गया। कोई लागत नहीं |

---

(1) A.I.R. 1986 P.C. 141.
(2) A.I.R. 1954 S.C. 186.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मनीषा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
बहादुरगढ़,हरियाणा